न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(क) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 04 / 2020

1. देवीसिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा ।

–आवेदक / प्रार्थी–

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. ग्राम पंचायत भनाई जरिये संरपच ग्राम पंचायत भनाई पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।

– आवेदकगण / अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः–25.07.2024

प्रार्थी देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा द्वारा बखिलाफ निर्णय दिनांक 20.8.2019 प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करवानें बाबत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. तहसील भादरा के गांव भनाई में अपीलांट इस निगरानी का आवेदक का एक खेड़ा कदीमी समय का स्थित है तथा अपीलांट आवेदक के स्वामित्व व अधिपत्य का स्थित है। जिसके चिपते पूर्वी तरफ अप्रार्थी यानी इस निगरानी के अनावेदक महावीर सिंह का रिहायशी मकान स्थित है। अनावेदक अप्रार्थी नं0–1 ने अनावेदक अप्रार्थी नं. 2 के साथ मिलकर करते हुए विधि विरुद्ध एंव गैर कानूनी तरीके से अपने रिहायशी मकान के आगे पश्चिम तरफ अपीलांट आवेदक के खेड़े की भूमि पर 40 फुट चौडाई एंव 80 फुट लम्बाई में एक तथाकथित पट्टा दिनांक 05.05.2003 को जारी करवा लिया एंव उक्त तथाकथित पट्टा के आधार पर वह ताकत व हिंसा के बल पर जबरिया अपीलांट आवेदक के खेड़ा पर कब्जा करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

आमादा है तथा पट्टा में वर्णित भूमि पर कभी भी अप्रार्थी महावीर सिंह का कब्जा नही रहा है एंव ना ही अप्रार्थी महावीर सिंह का उक्त भूखण्ड पर कोई स्वत्व है तथा उक्त भूमि सदामत से भिन अपीलांट के खेड़ा की भूमि है तथा अप्रार्थी अनावेदक नं. 2 द्वारा अप्रार्थी अनावेदक सं0–1 के पक्ष में उक्त पट्टा राजरथान पंचायती राज नियम की स्पष्ट अवहेलना व अवमानना करते हुए जारी किया गया है जबकि पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मौका की जांच की गई एंव ना ही अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी नं0–1 को मौका पर पट्टा में वर्णित भूमि की निशान देही दी गई तथा उक्त पट्टा अपनी जात से नल एण्ड वॉयड व है तथा उक्त पट्टा से रेस्पोडेन्ट नं.–1 यानी इस निगरानी के अनावेदक शून्य नं. 1 को कोई हक व अधिकार हासिल नही हुए ना ही उक्त पट्टा में रेस्पोडेट अनावेदक नं.–1 को स्वामित्व प्राप्त हुआ है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को पाबंद करवाने का अधिकारी है कि रेस्पोडेन्ट सं0 यानी इस निगरानी का अनावेदक नं.–1 उक्त तथाकथित पट्टा के आधार पर अपीलांट आवेदक के खेड़ा की उक्त भूमि पर निर्माण कार्य न करे तथा ना ही भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन करे तथा रेस्पोडेन्ट महावीर सिहं के पिता फतेहसिह पुत्र सुगनसिहं राजपूत के नाम ग्राम पंचायत अनूपशहर में दिनांक 27.09.1967 को एक पट्टा जारी किया हुआ है। जिसका आसा पासा में फतेह सिंह के पश्चिम में ग्राम पंचायत के पास विक्रय करने की कोई भूमि नही थी तथा रेस्पोडेन्ट महावीर सिहं ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 ग्राम पंचायत को गुमराह कर अपने पिता फतेहसिंहं वाले प्लॉट की जगह दिखाकर गलत तरीके से अपीलांट आवेदक के खेड़ा की भूमि को शामिल करते हुए पट्टा जारी करवाया है। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त पट्टा कतई शून्य व अवैध है और का बिल खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट यानी निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 यानी निगरानी के आवेदन न. 1 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा दिनांक 05.05.2003 को खारिज फरमाया जावे। आदेश फरमाया जावे कि उक्त भूमि पर कोई निर्माण आदि भूमि में परिवर्तन नही करे। उक्त तथ्यों के साथ अपील पेश किये जाने उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अप्रार्थी स.–1 नें अपने जबाव में अपील प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वह उक्त भूखण्ड को सदामत में नोहरा के रूप में काम में ले रहा है तथा उक्त भूखण्ड किसी भी प्रकार से अपीलांट के खेड़ा की भूमि नहीं है। जिससे वह खाद, कुटला एंव ईन्धन आदि डालने के काम में लेता आ रहा है। उक्त भूखण्ड पर सार्दुल सिंह व प्रहलाद सिंह ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी बाबत अप्रार्थी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश भादरा में उनके खिलाफ सिविल वाद स. 58/2016 पेश कर रखा है तथा उक्त पट्टा की अप्रार्थी अपीलांट को शुरू में जानकारी थी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला ... नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलांट प्रार्थी की अपील मियाद बाहर है। ग्राम पंचायत के नियमानुसार जांच कर मौका आदि देख कर ही अप्रार्थी स.–1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट जबाव प्रस्तुत कर अपीलांट प्रार्थी की अपील खारिज फरमाया जावे। मातहत अदालत ने बिना किसी सही कानूनी प्रक्रिया अपनाए एंव प्रार्थी आवेदक को समुचित सबूत व साक्ष्य का मौका दिये वगैरा एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार मियाद जैसे टेक्नीकल ग्राउंड पर अपीलांट प्रार्थी की अपील आधारहीन मानते हुए नियम विरुद्ध खारिज कर जिससे प्रार्थी आवेदक को अपूर्णीय क्षति होती है। जिसमें प्रार्थी आवेदक यह निगरानी निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करता है:–

1. निर्णय दिनांक 20.8.2019 बअदालत मातहत अखिलाफ कानून नियम वाक्यात व रूदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया गया है तथा का बिल मन्सुखी है। सत्य प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 20.8.2019 बअदालत मातहत सलग्न निगरानी है।

2. निर्णय दिनांक 20.08.2019 बअदालत मातहत बिना किसी सही जांच तथा बिना किसी सही कानूनी प्रक्रिया अपनाएं तथा बिना सही दस्तावेज का विशलेषण किये कतई मनमाना स्वेच्छाचारी तथा नियम विरुद्ध निर्णय पारित किया है। तथा निर्णय दिनांक 20.8.2019 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अनावेदक नं.–1 जिस जगह की स्थिति में अपना पट्टा का भूखण्ड बताता है वह प्रार्थी आवेदक का खातेदारी खेत है और ग्राम पंचायत की आबादी में बाहर है तथा अनावेदक नं0–1 के पिता फतेह सिंह का पट्टा सन् 1967 का पट्टा आवेदक प्रार्थी की सींव के पास बना हुआ है, जो आबादी की आखरी सीमा है। उक्त पट्टा फतेहसिहं में भी पश्चिमी तरफ खेड़ा देवीसिंह आवेदक का बताया गया है। जिससे स्पष्ट है कि फतेह सिहं के पट्टा शुद्धा घर के पश्चिम में और आबादी भूमि नही है। इसलिये पट्टा दिनांक 05.05.2003 फर्जी है, फिर भी मातहत अदालत बिना किसी सही विश्लेषण के मियाद जैसे टेक्नीकल ग्राउंड पर अपील अपीलांट आवेदक आधारहीन मानकर खारिज कर कानूनी भूल की है तथा निर्णय दिनांक 20.8.2019 इसी आधार पर काबिल निरस्त[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested

4. पट्टा में वर्णित भूमि पर [illegible] अप्रार्थी अ[illegible]क नं.–1 महावीर सिंह का कब्जा नही रहा है एंव ना ही [illegible] महावीर सिंह का उक्त भूखण्ड पर कोई स्वत्व है तथा उक्त भूमि सदामत से प्रार्थी आवेदक के खेत की भूमि है। अनावेदक न. 2 द्वारा अनावेदक न. 1 के पक्ष में उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना व अवमानना करते हुए जारी किया गया है जबकि पट्टा जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

करने से पूर्व न तो मौका की जांच की गई एंव ना ही अप्रार्थी अनावेदक नं. 2 द्वारा अप्रार्थी अनावेदक नं0–1 का मौका पर पट्टा में वर्णित भूमि की निशान देही दी गई तथा उक्त पट्टी से अनावेदक नं.–1 को कोई हक व अधिकार हासिल नही हुए, फिर भी मातहत अदालत बिना किसी सही विश्लेषण व अनुशीलन के केवल मियाद जैसे टेक्नीकल ग्राउंड पर अपील खारिज कर कानूनी गलती की है तथा इसी आधार पर निर्णय दिनांक 20.08. 2019 का बिल अपास्तनीय है।

5. अनावेदक नं0–1 महावीर के पिता फतेह सिंह पुत्र सुगन सिहं राजपूत के नाम से ग्राम पंचायत अनूपशहर में दिनांक 27.09.1967 को पट्टा जारी किया हुआ है। जिसका आसा–पासा में फतेह सिंह के पश्चिमी तरफ आवेदक प्रार्थी का खेडा दर्शाया हुआ जिससे यह स्पष्ट था कि फतेह सिंह के पश्चिम में ग्राम पंचायत के पास विक्रय करने की कोई भूमि नही थी। अप्रार्थी अनावेदक नं–1. अपार्थी अनावेदक न. 2 को गुमराह कर अपने पिता वाले प्लॉट की जगह दिखाकर गलत तरीके प्रार्थी आवेदक के खेड़ा की भूमि शामिल करते हुऐ पट्टा जारी करवाया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पश्चिमी तरफ खेती की भूमि होना बताया है फिर भी मातहत उक्त शून्य व अवैध पट्टा को खारिज ना कर राजनैतिक द्वेषता में वंशीभूत होकर निर्णय दिनांक 20.08.2019 अपील तथ्यों को नजर अन्दाज कर केवल मियाद जैसे टेक्नीकल ग्राउंड पर अपील को आधारहीन मानकर खारिज कर कानून के मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय पारिज किया है। जो काबिल निरस्तनीय है।

6. प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा ने मौका पर जाकर कोई मौका नही देखा है तथा ना ही प्रार्थी आवेदक को नोटिस देकर सूचना दी गई तथा प्राकृतिक न्याय में सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए राजनैतिक देषता हैं वंशी भूत होकर निर्णय दिनांक 20.08.2019 पारित किया है। जो काबिल इखराजी है।

7. निर्णय दिनांक 20.08.2019 निर्णय की परिभाषा नही आता है। तथा Speaking order नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested

8. निगरानी आवेदक न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] श्रवणाधिकार में है तथा 5/– रूपये की कोर्ट फीस पर व [illegible] से अन्दर मियाद है देरी को माफ करवाने के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. आवेदक की तरफ से निर्णय दिनांक 20.08.2019 के खिलाफ पूर्व में कोई निगरानी जैरकार नहीं है। तथा यह प्रथम निगरानी है। जो श्रीमानजी के न्यायालय में पेश की जा रही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिहाजा यह निगरानी आवेदक प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.08.2019 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी अनावेदक न. 2 द्वारा अप्रार्थी अनावेदक नं.–1 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा दिनांक 05.05.2003 को खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 ने तलबी हेतु जारी रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस लेने से इन्कार किया। अतः अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–02 रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या–03 प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा दिनांक 20.08.2019 को पारित निर्णय विधि विरूद्ध एंव कानून सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सही कानूनी प्रक्रिया अपनाए एंव प्रार्थी आवेदक को समुचित सबूत व साक्ष्य का मौका दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार मियाद जैसे टेक्नीकल ग्रउंड पर प्रार्थी की अपील आधारहीन मानते हुए नियम विरुद्ध खारिज कर दिया। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में जारी पट्टा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की निगरानीधीन निर्णय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भनाई की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत भनाई के पास महावीरसिं पुत्र फतेहसिंह की पट्टा बही उपलब्ध है इसके अलावा महावीरसिंह के पट्टे संबधी मिसल व कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 के अनुसार– मौके पर उतर दिशा में खाली जगह, दक्षिण में महावीरसिंह/सोहनसिंह का प्लॉट, पूर्व दिशा में फतेहसिंह का मकान, पश्चिमी दिशा में 1[illegible] गली है। इस प्लॉट के दक्षिण में इसी लाईन में और भी पट्टे जारी किये गये [illegible] पर किसी की आपति नही है परन्तु इसी प्लॉट पर वादी द्वारा कृषि भूमि बताई गई है। जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह आबादी में है। महावीर सिंह वर्तमान में इस प्लॉट पर बटोड़ा, लकड़िया, आदि डालकर घरेलू कार्य हेतु उपयोग उपभोग करता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का नियमानुसार पंजीयन भी करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भनाई की रिपोर्ट एंव अधीनस्थ न्यायालय की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति भादरा द्वारा दिनांक 20.08.2019 को पारित निर्णय न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 को पारित निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested